भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 373*

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि और समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देना

***373. श्री बिभु प्रसाद तराई:**
श्री विजय बघेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा शुरू की गई विशिष्ट पहल और संवर्धनात्मक कार्यक्रम क्या-क्या हैं और निर्यात की मात्रा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) कृषि और समुद्री उत्पादों का कुल मूल्य कितना है और विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्यात की गई दस शीर्ष वस्तुओं का गंतव्य, उत्पाद और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संकेन्द्रित संवर्धनात्मक प्रयासों के लिए विशिष्ट उच्च विकास क्षमता वाले उत्पादों और गंतव्य देशों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए तथा जीआई-टैग वाले उत्पादों को शामिल करके निर्यात उत्पाद सूची का विस्तार करने की कार्यनीति क्या है;

(घ) उद्यमियों को कृषि और समुद्री उत्पादों की निर्यात मूल्य शृंखला में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कार्यबल के कौशल में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

"कृषि एवं समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने" के संबंध में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *373 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) से (ङ): वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से, अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तीन घटक निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाज़ार विकास हैं। इस योजना के दिशानिर्देश एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "स्कीम" टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

एपीडा अपने अनुसूचित उत्पादों, जिनमें जीआई-टैग वाले उत्पाद भी शामिल हैं, के निर्यात में विविधता लाने के लिए विशेष कदम उठा रहा है। इसमें अनाज और भैंस के मांस जैसे पारंपरिक रूप से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है, साथ ही पारंपरिक बाजारों (खाड़ी, मध्य पूर्व) और नए गंतव्यों (यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया) दोनों के लिए जैविक उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और जूस, प्रसंस्कृत सब्जियां और बाजरा जैसे नए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल है। जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा उन्हें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रदर्शित कर रहा है ताकि उन्हें प्रीमियम स्थान मिल सके और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जा सकें।

इसके अलावा, निर्यात का विस्तार करने के लिए, एपीडा (i) टिकाऊ, लागत प्रभावी शिपमेंट को सक्षम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए नाशवान वस्तुओं के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है; (ii) बाजरा और चावल से नवाचारी मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के साथ अनुसंधान एवं विकास कर रहा है; (iii) शेल्फ लाइफ बढ़ाने, ताजगी बनाए रखने और पारगमन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पैकेजिंग में सुधार कर रहा है; (iv) वैश्विक मांग का निर्माण करने और प्रति इकाई प्राप्ति बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग और प्रचार को बढ़ा रहा है; (v) ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से गुणवत्ता को मजबूत करना और खाद्य-परीक्षण और निर्यातकों की इन-हाउस प्रयोगशालाओं को विकसित देशों के मानकों के अनुरूप उन्नत कर रहा है; और (vi) निरंतर वार्ता और एसपीएस/टीबीटी चिंताओं के समाधान के माध्यम से बाजार तक पहुंच को सक्षम बना रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कृषि-निर्यात कार्यबल विकसित हो रहे वैश्विक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बना रहे, एपीडा द्वारा तकनीकी कौशल, संस्थागत क्षमताओं और अनुपालन को मजबूत करने के लिए पहल की जा रही है, जिसमें आयातक देशों की आवश्यकताओं, बेहतर

कृषि पद्धतियों, गुणवत्ता नियंत्रण आदि पर किसानों सहित हितधारकों के गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से अनुपालन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

एमपीईडीए प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्य संवर्धन हेतु "विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी विकास" (टीडीएसवीएमपी) नामक मांग-आधारित योजना संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को संबंधित शर्तों को पूरा करने पर उनके प्रारंभिक निवेश की एक निश्चित राशि वापस की जाती है। टीडीएसवीएमपी योजना के लिए पंजीकरण कराने के इच्छुक निर्यातक https://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login.aspx पर पंजीकरण करा सकते हैं।

एमपीईडीए ने भारत के समुद्री खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। अंडमान द्वीप में विशिष्ट रोगाणु मुक्त (एसपीएफ) टाइगर झींगा प्रजनन के लिए एक न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए ने एंटीबायोटिक अवशेष मुक्त जलीय कृषि उत्पाद सुनिश्चित करने और बाजार में प्रवेश में सुधार करने के लिए खेतों और हैचरी के लिए शाफरी प्रमाणीकरण कार्यान्वित किया है। एमपीईडीए का अनुसंधान एवं विकास शाखा, राजीव गांधी जलीय कृषि केंद्र (आरजीसीए), ब्लैक टाइगर झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित एसपीएफ़ *पी. मोनोडॉन* ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति करती है। यह कृषि क्षेत्रों का विस्तार करके, उत्पादकता में सुधार करके और प्रजातियों में विविधता लाकर झींगा जलकृषि को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है जिसमें श्रमिकों के लिए कौशल ओलंपियाड, जलीय कृषि में बीएमपी (बेहतर प्रबंधन पद्धतियों) में जलीय कृषि तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा उपाय और बाजार पहुँच आवश्यकताएं शामिल हैं।

एमपीईडीए सीफूड एक्सपो भारत का आयोजन करता है, जो एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें प्रदर्शनियाँ, क्रेता-विक्रेता बैठकें और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाते हैं ताकि सहयोग और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, यह आयातक देशों में उभरते रुझानों, उपभोक्ता वरीयताओं और विनियामक परिवर्तनों की पहचान करने के लिए अनुसंधान और बाजार सर्वेक्षण भी करता है ताकि निर्यातकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए बाजार और उत्पाद सगेमिन्ट खोलने में मदद मिल सके। एमपीईडीए अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, रूस, कोरिया, सिंगापुर और दुबई में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीफूड शो में निर्यातकों की भागीदारी को भी सुगम बनाता है।
एमपीईडीए किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकीयों, मछुआरों के लिए बेहतर प्रबंधन पद्धतियों, फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के तरीकों, प्रजातियों के विविधीकरण, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों से सुसज्जित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों में

काम करने वाले श्रमिकों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविदों के लिए जोखिम विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

निरंतर निर्यात संवर्धन गतिविधियों और हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के कारण, भारत का कृषि निर्यात जिसमें समुद्री निर्यात शामिल है, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि में 41.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 51.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इस अवधि में लगभग 26% की समग्र वृद्धि दर्शाता है। कृषि और समुद्री उत्पादों के विस्तृत निर्यात आँकड़े , उत्पाद-वार और देश-वार शीर्ष दस वस्तुओं और गंतव्यों का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

******

अनुबंध

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *373 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध :

भारत का कृषि और समुद्री उत्पादों का निर्यात

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में			
उत्पाद का नाम	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
समुद्री उत्पाद	**8077.98**	**7372.00**	**7405.00**
चावल (बासमती के अलावा)	6356.71	4573.41	6527.58
चावल- बासमती	4787.65	5843.30	5944.48
मसाले	3785.36	4248.56	4451.54
भैंस का मांस	3193.69	3743.26	4060.54
चीनी	5770.83	2824.74	2159.40
कॉफी	1146.18	1286.28	1805.57
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ	1421.64	1653.76	1680.10
अनिर्मित तम्बाकू	822.23	1052.04	1478.22
ऑयल मील	1601.72	1713.98	1344.39
ताज़े फल	864.62	1146.62	1171.08
अन्य	15300.94	13346.56	13893.50
कुल	**53129.55**	**48804.52**	**51921.40**

स्रोत: डीजीसीआईएस

शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

समुद्री उत्पाद			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
यूएसए	2582.65	2499.02	2681.19
चीन	1445.56	1377.75	1211.42
जापान	486.66	412.09	408.45
वियतनाम	491.25	392.55	381.77
थाईलैंड	332.91	281.09	311.93

स्रोत: डीजीसीआईएस

चावल- बासमती			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
सऊदी अरब	1036.72	1254.56	1203.77
इराक	375.41	887.33	850.08
ईरान	980.14	680.54	753.20
संयुक्त अरब अमीरात	334.93	333.81	364.48
यमन	307.57	342.51	358.34

स्रोत: डीजीसीआईएस

चावल (बासमती के अलावा)			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
बेनिन	529.21	512.84	1025.38
गिनी	324.38	373.52	536.00
कोटे डी आइवर	420.59	246.96	520.30
टोगो	331.07	279.05	421.50
बांग्लादेश	305.94	8.19	358.82

स्रोत: डीजीसीआईएस

मसाले			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
चीन पीआरपी	793.41	928.16	768.50
यूएसए	523.28	572.46	654.71
संयुक्त अरब अमीरात	205.72	256.25	355.42
बांग्लादेश पीआर	257.04	338.95	340.76
थाईलैंड	183.97	192.87	153.98

स्रोत: डीजीसीआईएस

भैंस का मांस			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
वियतनाम	509.02	751.40	740.81
मिस्र	408.84	541.52	656.11
मलेशिया	534.03	577.35	617.50
इराक	232.88	329.52	360.00
सऊदी अरब	193.11	274.23	317.61

स्रोत: डीजीसीआईएस

चीनी			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
सूडान	782.35	518.47	265.87
लीबिया	83.05	232.22	242.23
सोमालिया	408.74	200.01	229.99
श्रीलंका	275.43	248.64	205.02
ज़िबूटी	349.42	196.89	135.86

स्रोत: डीजीसीआईएस

कॉफी			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
इटली	148.76	208.08	326.12
जर्मनी	122.50	126.93	198.57
बेल्जियम	90.33	73.83	134.68
रूस	104.71	75.98	95.26
संयुक्त अरब अमीरात	45.38	70.49	91.73

स्रोत: डीजीसीआईएस

विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
यूएसए	192.20	229.90	251.93
संयुक्त अरब अमीरात	128.85	124.67	178.78
मलेशिया	112.09	121.11	134.39
बांग्लादेश	202.84	184.72	81.87
कनाडा	42.84	65.59	75.77

स्रोत: डीजीसीआईएस

अनिर्मित तम्बाकू			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
बेल्जियम	243.29	269.21	341.01
संयुक्त अरब अमीरात	44.63	145.97	239.76
इंडोनेशिया	33.34	87.42	149.12
मिस्र	22.20	48.06	115.46
टर्की	27.22	27.45	50.75

स्रोत: डीजीसीआईएस

ऑयल मील			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
बांग्लादेश	239.89	401.34	217.77
कोरिया	220.40	197.09	153.25
जर्मनी	9.47	34.01	128.74
थाईलैंड	174.69	155.66	96.67
नेपाल	73.02	115.12	93.52

स्रोत: डीजीसीआईएस

ताज़े फल			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
इराक	41.03	89.77	185.93
संयुक्त अरब अमीरात	151.19	195.04	177.61
नीदरलैंड	125.62	215.20	159.52
बांग्लादेश	83.36	58.80	65.81
नेपाल	50.29	54.45	57.98

स्रोत: डीजीसीआईएस

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 373*

दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कृषि और समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देना

***373. श्री बिभु प्रसाद तराई:**
श्री विजय बघेल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा शुरू की गई विशिष्ट पहल और संवर्धनात्मक कार्यक्रम क्या-क्या हैं और निर्यात की मात्रा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) कृषि और समुद्री उत्पादों का कुल मूल्य कितना है और विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्यात की गई दस शीर्ष वस्तुओं का गंतव्य, उत्पाद और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संकेन्द्रित संवर्धनात्मक प्रयासों के लिए विशिष्ट उच्च विकास क्षमता वाले उत्पादों और गंतव्य देशों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए तथा जीआई-टैग वाले उत्पादों को शामिल करके निर्यात उत्पाद सूची का विस्तार करने की कार्यनीति क्या है;

(घ) उद्यमियों को कृषि और समुद्री उत्पादों की निर्यात मूल्य शृंखला में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कार्यबल के कौशल में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

****

"कृषि एवं समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने" के संबंध में दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *373 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण :

(क) से (ङ): वाणिज्य विभाग, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से अपनी वित्तीय सहायता योजना (एफएएस) के माध्यम से, अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तीन घटक निर्यात अवसंरचना का विकास, गुणवत्ता विकास और बाज़ार विकास हैं। इस योजना के दिशानिर्देश एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर "स्कीम" टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

एपीडा अपने अनुसूचित उत्पादों, जिनमें जीआई-टैग वाले उत्पाद भी शामिल हैं, के निर्यात में विविधता लाने के लिए विशेष कदम उठा रहा है। इसमें अनाज और भैंस के मांस जैसे पारंपरिक रूप से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है, साथ ही पारंपरिक बाजारों (खाड़ी, मध्य पूर्व) और नए गंतव्यों (यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया) दोनों के लिए जैविक उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और जूस, प्रसंस्कृत सब्जियां और बाजरा जैसे नए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल है। जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा उन्हें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रदर्शित कर रहा है ताकि उन्हें प्रीमियम स्थान मिल सके और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जा सकें।

इसके अलावा, निर्यात का विस्तार करने के लिए, एपीडा (i) टिकाऊ, लागत प्रभावी शिपमेंट को सक्षम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए नाशवान वस्तुओं के लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित कर रहा है; (ii) बाजरा और चावल से नवाचारी मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के साथ अनुसंधान एवं विकास कर रहा है; (iii) शेल्फ लाइफ बढ़ाने, ताजगी बनाए रखने और पारगमन में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पैकेजिंग में सुधार कर रहा है; (iv) वैश्विक मांग का निर्माण करने और प्रति इकाई प्राप्ति बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग और प्रचार को बढ़ा रहा है; (v) ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से गुणवत्ता को मजबूत करना और खाद्य-परीक्षण और निर्यातकों की इन-हाउस प्रयोगशालाओं को विकसित देशों के मानकों के अनुरूप उन्नत कर रहा है; और (vi) निरंतर वार्ता और एसपीएस/टीबीटी चिंताओं के समाधान के माध्यम से बाजार तक पहुंच को सक्षम बना रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कृषि-निर्यात कार्यबल विकसित हो रहे वैश्विक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप बना रहे, एपीडा द्वारा तकनीकी कौशल, संस्थागत क्षमताओं और अनुपालन को मजबूत करने के लिए पहल की जा रही है, जिसमें आयातक देशों की आवश्यकताओं, बेहतर

कृषि पद्धतियों, गुणवत्ता नियंत्रण आदि पर किसानों सहित हितधारकों के गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से अनुपालन को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

एमपीईडीए प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्य संवर्धन हेतु "विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों हेतु प्रौद्योगिकी विकास" (टीडीएसवीएमपी) नामक मांग-आधारित योजना संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को संबंधित शर्तों को पूरा करने पर उनके प्रारंभिक निवेश की एक निश्चित राशि वापस की जाती है। टीडीएसवीएमपी योजना के लिए पंजीकरण कराने के इच्छुक निर्यातक https://e-mpeda.nic.in/registration/Reg_login.aspx पर पंजीकरण करा सकते हैं।

एमपीईडीए ने भारत के समुद्री खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। अंडमान द्वीप में विशिष्ट रोगाणु मुक्त (एसपीएफ) टाइगर झींगा प्रजनन के लिए एक न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एमपीईडीए ने एंटीबायोटिक अवशेष मुक्त जलीय कृषि उत्पाद सुनिश्चित करने और बाजार में प्रवेश में सुधार करने के लिए खेतों और हैचरी के लिए शाफरी प्रमाणीकरण कार्यान्वित किया है। एमपीईडीए का अनुसंधान एवं विकास शाखा, राजीव गांधी जलीय कृषि केंद्र (आरजीसीए), ब्लैक टाइगर झींगा उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित एसपीएफ़ *पी. मोनोडॉन* ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति करती है। यह कृषि क्षेत्रों का विस्तार करके, उत्पादकता में सुधार करके और प्रजातियों में विविधता लाकर झींगा जलकृषि को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है जिसमें श्रमिकों के लिए कौशल ओलंपियाड, जलीय कृषि में बीएमपी (बेहतर प्रबंधन पद्धतियों) में जलीय कृषि तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा उपाय और बाजार पहुँच आवश्यकताएं शामिल हैं।

एमपीईडीए सीफूड एक्सपो भारत का आयोजन करता है, जो एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें प्रदर्शनियाँ, क्रेता-विक्रेता बैठकें और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाते हैं ताकि सहयोग और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, यह आयातक देशों में उभरते रुझानों, उपभोक्ता वरीयताओं और विनियामक परिवर्तनों की पहचान करने के लिए अनुसंधान और बाजार सर्वेक्षण भी करता है ताकि निर्यातकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नए बाजार और उत्पाद सगेमिन्ट खोलने में मदद मिल सके। एमपीईडीए अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, रूस, कोरिया, सिंगापुर और दुबई में महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीफूड शो में निर्यातकों की भागीदारी को भी सुगम बनाता है।
एमपीईडीए किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकीयों, मछुआरों के लिए बेहतर प्रबंधन पद्धतियों, फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के तरीकों, प्रजातियों के विविधीकरण, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों से सुसज्जित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है। समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों में

काम करने वाले श्रमिकों और गुणवत्ता नियंत्रण प्रौद्योगिकीविदों के लिए जोखिम विश्लेषण एवं महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

निरंतर निर्यात संवर्धन गतिविधियों और हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के कारण, भारत का कृषि निर्यात जिसमें समुद्री निर्यात शामिल है, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि में 41.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 51.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इस अवधि में लगभग 26% की समग्र वृद्धि दर्शाता है। कृषि और समुद्री उत्पादों के विस्तृत निर्यात आँकड़े , उत्पाद-वार और देश-वार शीर्ष दस वस्तुओं और गंतव्यों का विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

******

अनुबंध

दिनांक 19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *373 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध :

भारत का कृषि और समुद्री उत्पादों का निर्यात

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में			
उत्पाद का नाम	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
समुद्री उत्पाद	**8077.98**	**7372.00**	**7405.00**
चावल (बासमती के अलावा)	6356.71	4573.41	6527.58
चावल- बासमती	4787.65	5843.30	5944.48
मसाले	3785.36	4248.56	4451.54
भैंस का मांस	3193.69	3743.26	4060.54
चीनी	5770.83	2824.74	2159.40
कॉफी	1146.18	1286.28	1805.57
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ	1421.64	1653.76	1680.10
अनिर्मित तम्बाकू	822.23	1052.04	1478.22
ऑयल मील	1601.72	1713.98	1344.39
ताज़े फल	864.62	1146.62	1171.08
अन्य	15300.94	13346.56	13893.50
कुल	**53129.55**	**48804.52**	**51921.40**

स्रोत: डीजीसीआईएस

शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

समुद्री उत्पाद			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
यूएसए	2582.65	2499.02	2681.19
चीन	1445.56	1377.75	1211.42
जापान	486.66	412.09	408.45
वियतनाम	491.25	392.55	381.77
थाईलैंड	332.91	281.09	311.93

स्रोत: डीजीसीआईएस

चावल- बासमती			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
सऊदी अरब	1036.72	1254.56	1203.77
इराक	375.41	887.33	850.08
ईरान	980.14	680.54	753.20
संयुक्त अरब अमीरात	334.93	333.81	364.48
यमन	307.57	342.51	358.34

स्रोत: डीजीसीआईएस

चावल (बासमती के अलावा)			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
बेनिन	529.21	512.84	1025.38
गिनी	324.38	373.52	536.00
कोटे डी आइवर	420.59	246.96	520.30
टोगो	331.07	279.05	421.50
बांग्लादेश	305.94	8.19	358.82

स्रोत: डीजीसीआईएस

मसाले			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
चीन पीआरपी	793.41	928.16	768.50
यूएसए	523.28	572.46	654.71
संयुक्त अरब अमीरात	205.72	256.25	355.42
बांग्लादेश पीआर	257.04	338.95	340.76
थाईलैंड	183.97	192.87	153.98

स्रोत: डीजीसीआईएस

भैंस का मांस			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
वियतनाम	509.02	751.40	740.81
मिस्र	408.84	541.52	656.11
मलेशिया	534.03	577.35	617.50
इराक	232.88	329.52	360.00
सऊदी अरब	193.11	274.23	317.61

स्रोत: डीजीसीआईएस

चीनी			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
सूडान	782.35	518.47	265.87
लीबिया	83.05	232.22	242.23
सोमालिया	408.74	200.01	229.99
श्रीलंका	275.43	248.64	205.02
ज़िबूटी	349.42	196.89	135.86

स्रोत: डीजीसीआईएस

कॉफी			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
इटली	148.76	208.08	326.12
जर्मनी	122.50	126.93	198.57
बेल्जियम	90.33	73.83	134.68
रूस	104.71	75.98	95.26
संयुक्त अरब अमीरात	45.38	70.49	91.73

स्रोत: डीजीसीआईएस

विविध प्रसंस्कृत वस्तुएँ			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
यूएसए	192.20	229.90	251.93
संयुक्त अरब अमीरात	128.85	124.67	178.78
मलेशिया	112.09	121.11	134.39
बांग्लादेश	202.84	184.72	81.87
कनाडा	42.84	65.59	75.77

स्रोत: डीजीसीआईएस

अनिर्मित तम्बाकू			
देश	2022- 23	2023- 24	2024- 25
बेल्जियम	243.29	269.21	341.01
संयुक्त अरब अमीरात	44.63	145.97	239.76
इंडोनेशिया	33.34	87.42	149.12
मिस्र	22.20	48.06	115.46
टर्की	27.22	27.45	50.75

स्रोत: डीजीसीआईएस

ऑयल मील			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
बांग्लादेश	239.89	401.34	217.77
कोरिया	220.40	197.09	153.25
जर्मनी	9.47	34.01	128.74
थाईलैंड	174.69	155.66	96.67
नेपाल	73.02	115.12	93.52

स्रोत: डीजीसीआईएस

ताज़े फल			
देश	**2022- 23**	**2023- 24**	**2024- 25**
इराक	41.03	89.77	185.93
संयुक्त अरब अमीरात	151.19	195.04	177.61
नीदरलैंड	125.62	215.20	159.52
बांग्लादेश	83.36	58.80	65.81
नेपाल	50.29	54.45	57.98

स्रोत: डीजीसीआईएस

****